कार्यालय नियंत्रक प्राधिकारी

(महानिदेशक,गृह रक्षा, राजस्थान,जयपुर)
जलेब चौक,जयपुर।
ई–मेल : psa.hgcd.rj@nic.in फोन नम्बर 0141–2612593
Website: http:// home.rajasthan. gov.in/homeguards

क्रमांकः– प.37(1723)गृरमु/पीएसएएल/2020/13763-65 दिनांकः– 03 DEC 2020

कार्यालय आदेश

मैसर्स : चारू सिक्यूरिटी सर्विसेज लाईसेन्स संख्या 585/CD&HG HQ (Security-&Trg.)/2012 दिनांक 20.07.2012 वैद्यता दिनांक 19.07.2022 (निजी सुरक्षा अभिकरण एवं निजी सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान) का इस कार्यालय के पत्र कमांक 9250 दिनांक 03.09.2020 द्वारा समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर से निरीक्षण करवाया गया। समादेष्टा, गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, जोधपुर द्वारा दिनांक 23.09.2020 को उक्त निजी सुरक्षा अभिकरण एवं प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 23.09.2020 को उक्त प्रशिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार का निजी सुरक्षा का प्रशिक्षण कोर्स नहीं चल रहा था तथा संस्थान द्वारा जारी अंतिम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का क्रम संख्या 625 दिनांक 03.03.2020 था। इस कार्यालय में प्राप्त होने वाले नवीन आवेदनों में यह तथ्य सामने आये है कि आवेदक श्री राजवंत कुमार राय मैसर्स कवच सिक्यूरिटी सर्विसेज प्रा0लि0 द्वारा दिनांक 21.09.2020 से 11.10.2020 तक का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या 000804 दिनांक 13.10.2020 व आवेदक श्री भंवर सिंह मैसर्स रणबांकुरे सिक्यूरिटी द्वारा दिनांक 22.09.2020 से 28.09.2020 तक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या 000782 दिनांक 30.09.2020 मैसर्स : चारू सिक्यूरिटी सर्विसेज द्वारा जारी किये गये प्रस्तुत किये है। उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अनुसार निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण रिपोर्ट में अंतिम जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या 573 व क्रम संख्या 625 दिनांक 03.03.2020 दर्शाया गया है। जब कि प्रशिक्षण संस्थान द्वारा अंतिम जारी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र संख्या 000804 दिनांक 13.10.2020 जारी किया गया है। जिससे स्पष्ट होता है कि निरीक्षण रिपोर्ट में दर्शाये गये अंतिम जारी प्रमाण पत्र संख्या 625 दिनांक 03.03.2020 से व संस्थान द्वारा जारी प्रमाण पत्र संख्या 804 दिनांक 13.10.2020 के मध्य अवधि में कुल 179 प्रमाण पत्र जारी करना पाया गया है। जबकि इस अवधि में कोविड–19 महामारी के दौरान जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 22.03.2020 से 14.07.2020 तक कोई भी प्रशिक्षण संस्थान संचालित नहीं किया जाना था, फिर भी उक्त संस्थान द्वारा इतने अधिक संख्या में प्रमाण पत्र जारी किये जाने व संस्थान द्वारा जारी उक्त प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अनुसार संस्थान में दो प्रशिक्षण बैच दिनांक 21.09.2020 से 11.10.2020 तक व 22.09.2020 से 28.09.2020 तक चलना पाया गया है। अनुज्ञाधारक द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.09.2020 को प्रशिक्षण कोर्स चलना नहीं बताया गया है। जब कि इस अवधि में प्रशिक्षण प्रमाण पत्र जारी किये गये है। अनुज्ञाधारक द्वारा यह तात्विक तथ्य छुपाया गया है, जो प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम की धारा 06 का स्पष्ट उल्लंघन है। प्रावधानो का स्पष्ट उल्लघंन करने के कारण उक्त लाईसेन्स को पसारा एक्ट 2005 की धारा 13(2) के तहत आगामी आदेश तक तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं पालनार्थः–

1. श्रीमती मिनाक्षी माथुर पत्नि श्री मुकुट बिहारी माथुर निवासी मकान नं–03, आशापुरना नगर, डी.पी.एस. स्कूल के सामने, पाल बाईपास, जोधपुर। प्रशिक्षण संस्थान पता प्लॉट नं–63, खसरा नम्बर 10 व 12/2, मनोहर विहार, पाली रोड, जोधपुर को भेजकर कारण पृच्छा की जाती है कि आपके द्वारा निरीक्षण दिनांक 23.09.2020 को उक्त तथ्य किन कारणों से छुपाया गया है। इस क्रम में आगामी कार्यवाही प्रारम्भ करने से पूर्व आपको 30 दिवस का समय अपना पक्ष प्रस्तुत करने/स्पष्ट करने हेतु दिया जाता है। आप नियत समय अवधि में अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। इस संबंध में यदि आप व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर चाहते है तो अपने अभ्यावेदन में इसका स्पष्ट उल्लेख कर सकते है। यदि नोटिस प्राप्ती के 30 दिवस के भीतर आपका अभ्यावेदन/जबाब इस कार्यालय को प्राप्त न हुआ तो यह मानते हुए कि आपके पास प्रस्तुत करने को अन्य कोई तथ्य नही है, उपलब्ध दस्तावेजो की योग्यता के आधार पर नियमानुसार आगामी कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
2. प्रभारी, कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हांजा को विभागीय वैबसाईट पर सूचना अवलोड करने बाबत्।

(यू.आर. साहू IPS)
नियंत्रक प्राधिकारी
(महानिदेशक, गृह रक्षा, राजस्थान)
जयपुर